UPLK010059512022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 784 / 2022

सरकार **बनाम** धर्मराज यादव

अ0सं0 40 / 2021
धारा–323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–जानकीपुरम, लखनऊ।

07–04–2023

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त धर्मराज यादव मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 30.05.2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010059512022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 784 / 2022

सरकार **बनाम** धर्मराज यादव

अ0सं0 40 / 2021

धारा–323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)द एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,

थाना–जानकीपुरम, लखनऊ।

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार–III विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त धर्मराज यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 31–01–2021 को समय अदम तहरीर थाना जानकीपुरम जिला लखनऊ सीमान्तर्गत मुस्लिमनगर में आप ने वादी मुकदमा राज वाल्मिकी को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप ने वादी मुकदमा राज वाल्मिकी को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा राज वाल्मिकी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा राज वाल्मिकी जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

दिनांकः 06–04–2023

J.O. Code UP5950

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

दिनांकः 06–04–2023

J.O. Code UP5950

Digitally signed by NARENDRA KUMAR III
Date: 2023.04.10 19:54:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court